न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 22/2023

अनवान : –

1. रामजीलाल पुत्र रामसिंह जाति सुथार निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।

–**प्रार्थी**

बनाम्

1. माडुराम पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी ढीलक जाटान तहसील नोहर।

– **असल अप्रार्थीगण**

2. धनाराम पुत्र रामसिंह जाति सुथार निवासी ढीलकी जाटान तहसील नोहर।
3. बृजलाल पुत्र रामसिंह जाति सुथार निवासी ढीलकी जाटाना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **तरतीबी अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी**
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय   दिनांकः 8/11/2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी स0 2 व 3 की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक 10 जीजीएम तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 61 के प0न0 342/471 मु0न0 28 के किला न0 15, 16, 25 प0न0 382/472 मु0न0 35 के किला न0 5 प0न0 383/471 मु0न0 27 के किला न0 11 ता 13 व 18 ता 23 प0न0 383/472 मु0न0 36 के किला न0 1 व 12 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा चक 10 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 56 के प0न0 383/471 मु0न0 27 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 व 9 ता 10 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि चिपती हुई है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में सुविधा व नजदीक का आने जाने का कोई मंजुद शुदा रास्ता नही है। सायलान गैरसायलान की अपनी खातेदारी कृषि भूमि के प0न0 382/471 मु0न0 27 के किला न0 13 में ढाणी बना रखी है तथा गैरसायलान के किला न0 1 ता 5 में मंजुर शुदा रास्ता नही है जिससे सायलान किला न0 1 व 10 पत्थर लाईन पर पश्चिमी [illegible] एक–एक बिस्वा सबसे सुविधाजनक व नजदीक का रास्ता है। अतः न्या[illegible] खातेदारी प0न0 382/471 मु0न0 27 के किला न0 1 व 10 के पश्चिम छोर पर मुरब्बा लाईन पर एक–एक [illegible] रास्ता मंजुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:18:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

करवा पाने के अधिकारी है तथा विकल्प में प0न0 382/471 मु0न0 27 के किला न0 2 व 9 के किला लाईन पर यदि मंजुर होता है तो सीधा अपनी ढाणी से प्रार्थी जा सकता है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी को कई दफा कहा की वो उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लेवे तथा रास्ता के बदले की एवज में मुआवजरा डीएलसी रेट पर या जमीन के जमीन ले ले तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे किंतु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा चक 10 जीजीएम तहसील नोहर की अप्रार्थी की खातेदारी भूमि प0न0 383/471 मु0न0 27 के किला न0 1 व 10 के पश्चिम पासा में एक–एक बिस्वा रास्ता मंजुर किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तथा बतौर मुआवजा प्रार्थी चिपते किलो में अथवा डीएलसी की किमत प्रार्थी अप्रार्थी को देने को तैयार है।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी स0 1 ता 3 द्वारा राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया कीी रोही मौजा 10 जीजीएम तहसील नोहर के प0न0 383/471 मु0न0 27 के किला न0 1 – 10 के पश्चिम पासा में एक–एक बिस्वा रास्ता मन्जुर किया जावे तथा बदले में अप्रार्थी स0 1 माडुराम को प0न0 383/471 मु0न0 27 के किला न0 11–12 की उत्तरी पासा की चिपती हुई 1–1 बिस्वा भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी स0 2 व 3 की भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज की जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया की प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके अनुसार रोही मौजा 10 जीजीएम तहसील नोहर के प0न0 383/471 मु0न0 27 के किला न0 1 – 10 के पश्चिम पासा में एक–एक बिस्वा रास्ता मन्जुर किया जावे तथा बदले में अप्रार्थी स0 1 माडुराम को प0न0 383/471 मु0न0 27 के किला न0 11–12 की उत्तरी पासा की चिपती हुई 1–1 बिस्वा भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी स0 2 व 3 की भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज की जावें। अप्रार्थीगण ने भी निवेदन किया की मुताबिक राजीनामा रास्ता मंजुर किया जाता है तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि रोही मौजा 10 जीजीएम तहसील नोहर के प0न0 383/471 मु0न0 27 के किला न0 1 – 10 के पश्चिम पासा में एक–एक बिस्वा रास्ता मन्जुर किया जावे तथा बदले में अप्रार्थी स0 1 माडुराम को प0न0 383/471 मु0न0 27 के किला न0 11–12 की उत्तरी पासा की चिपती हुई 1–1 बिस्वा भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी स0 2 व 3 की भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज की जावें। अप्रार्थीगण ने भी निवेदन किया की मुताबिक राजीनामा रास्ता मंजुर किया जाता है तो पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:18:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायलान एवं गैरसायलान की आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 10 जीजीएम तहसील नोहर के प0न0 383/471 मु0न0 27 के किला न0 1 – 10 के पश्चिम पासा में एक–एक बिस्वा रास्ता मन्जुर किया जाता है तथा रास्ते के बदले की भूमि में रोही मौजा 10 जीजीएम के प0न0 383/471 मु0न0 27 के किला न0 11–12 की उत्तरी पासा की चिपती हुई 1–1 बिस्वा भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी स0 2 व 3 की भूमि कम की जाकर अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज की जावें। किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 8/11/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:18:56 IST
Reason: SelfAttested